

भारत सरकार  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2632

उत्तर देने की तारीख 09 मार्च, 2026

18 फाल्गुन, 1947 (शक)

**दरभंगा में खेल अवसंरचना का विकास**

**†2632. श्री गोपाल जी ठाकुर:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दरभंगा में किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम या बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना के लिए किसी योजना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्र के युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी खेल अकादमी या खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए मिनी स्टेडियम, ओपन जिम और खेल सुविधाओं का विस्तार किए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट योजना का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**

**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) से (ङ) 'खेल' राज्य विषय होने के कारण, राष्ट्रीय-स्तर के खेल स्टेडियम अथवा बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना, युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु खेल अकादमी या खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु मिनी स्टेडियम, ओपन जिम और खेल सुविधाओं का विस्तार तथा महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय बिहार राज्य सहित देश में खेलों के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

- i खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
- ii राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
- iii अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद प्रोत्साहन;
- iv राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
- v मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
- vi खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
- vii राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
- viii भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; तथा
- ix राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) मांग आधारित स्कीमों हैं, जिनके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है।

खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के अंतर्गत बिहार राज्य सहित देशभर में स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड <https://mdsd.kheloindia.gov.in> और <http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html> पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*